



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2009/अग्रहायण 12, 1931

No. 687]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2009/AGRAHAYANA 12, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 858(अ).—जबकि विस्फोटक, नियमावली, 2008 में संशोधन हेतु विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (i) के अनुसार यथा अपेक्षित निम्नलिखित मसौदा नियमों को इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी लोगों के सूचनार्थ, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर अथवा इसके पश्चात् विचार किया जायेगा;

उक्त नियमों के बारे में कोई सुझाव अथवा आपत्ति देने का इच्छुक कोई व्यक्ति ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है।

1. (1) इन नियमों को विस्फोटक (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. विस्फोटक नियमावली, 2008 में अनुसूची V, भाग 4 में, सेट-XVI में शर्त 3 में खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः :-

“(क) प्रत्येक सलाई (स्टिक) पर विस्फोटक सामग्री रंगीन माचिसों के मसाले में 2.0 ग्राम तथा स्टार माचिसों के मसाले में 3.0 ग्राम से अधिक नहीं होगी और सलाई की लंबाई 180 मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा विस्फोटक सामग्री से ढकी हुई प्रत्येक सलाई की लंबाई की आधी लम्बाई से अधिक नहीं होनी चाहिए”।

[फा. सं. 31(5)/2008-विस्फो.]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 31 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 907 (अ) के द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2009

G. S. R. 858(E).—Whereas, the following draft rules to amend the Explosives Rules, 2008 is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification;

Any person desirous of making any suggestions or objections with respect to the said rules may forward the same, within the period so specified, to the Secretary of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi-110001.

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008, in Schedule-V in Part 4, in SET-XVI, in Condition 3, for clause (a), the following clause shall be substituted namely:—

“(a) The explosives mixture on each stick shall not exceed 2.0 gram in the case of colour matches and 3.0 gram in the case of star matches and the length of the stick shall not be more than 180 mm and the extent of length of each stick covered by explosives mixture shall not be more than half of the length of the stick”.

[F. No. 31(5)/2008-Expl.]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S. R. 907(E), dated the 31st December, 2008.